फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

खेमराज बनाम शिवसिंह

धारा 127-128 ~~वाद~~/प्रा०प०/~~अपील~~ 3/18 प्र०सं० /~~15~~

8.1.17 बाद जॉच ~~वाद~~/प्रा०प०/~~अपील~~ प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 21.2.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

21.2.18

पीठासीन अधिकारी
अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
दिनांक 18.5.18 को पेश हो।

रीडर
आदेश से रीडर

29.5.18 पत्रावली लोक अदालत कैम्प खैराबाद पर पेश फैसला अलग से लिखवा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/
पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से खारिज हो/

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाडा

कोर्ट कैम्प खेराबाद

पीठसीन अधिकारीः–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्याः– 3/18

1.– खेमराज, रामलाल, प्रहलाद, भैरु, कमला, लीला, प्रेम, पिता मांगु

2.– केसी बेवा मांगु कुमावत

इन्दा, सम्पत पिता गोमा, कुमावत

अणची बेवा मोहन कुमावत नि. समस्त किलियावाला ——प्रार्थीगण

बनाम

1 शिवसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत नि. कारोली

1.– सीताराम पिता सेवा बलाई नि. किलियावाला

2.– भेरु पिता पोखर गुर्जर —"—

3 जुम्मा पिता मांगी बलाई "

4.– नारायण पिता भागीरथ गुर्जर —"—

5 भूरा पिता भोला भील —"— ——विपक्षीगण

6 धीमलाल पिता भोगा ब्राह्मण —"—

7 छीतर पिता —"—

8 तहसीलदार हमीरगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

---

:: निर्णय :: दिनांकः– 29.5.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ~~खेराबाद~~ किलियावाला पटवार हल्का किलियावाला तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 864, 931, कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8.1.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम किलियावाला पटवार ह0 किलियावाला तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 864, 931 कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक खेराबाद को 500/–रू0 (अक्षरे– पाँच सौ रुपया ............)

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपिः– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ